[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना

सं. 36/2023-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 4 अगस्त, 2023

सा.का.नि......(अ)--केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक को अधिसूचित करती है जिससे ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रुप में धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण किया जाना अपेक्षित है जो उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त व्यक्ति कहा गया है) द्वारा इसके माध्यम से की गई माल की पूर्ति के संबंध में निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, अर्थातः-

(i) इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की किसी अंतर-राज्यीय पूर्ति को अनुज्ञात नहीं करेगा ;

(ii) इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की पूर्ति के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण करेगा और उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार सरकार को संदाय करेगा ; और

(iii) इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की पूर्ति के ब्यौरे सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रुप से प्ररुप **जीएसटीआर-8** में विवरण के रुप में प्रस्तुत करेगा ।

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2023 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. सीबीआईसी-20006/20/2023-जीएसटी]

(आलोक कुमार)
निदेशक